

## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक D/5003

जबलपुर, दिनांक 26/08/2021

श्रीमति विजया दुबे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (एम.ओ.एम) अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने एवं परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययनहेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
*Par*

पृष्ठांकन क्रमांक D/5004

जबलपुर, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार प्रशा / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
  3. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. श्रीमति विजया दुबे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(प्रियदर्शन सैनी)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
*Par*